3.7.2 (1)

IASE (deemed to be university)

Accredited with 'B' Grade by NAAC

Main Campus
GANDHI VIDYA MANDIR
SARDARSHAHAR 331403 (Raj.)
Tel +91 - 1564 - 223042
+91 - 1564 - 220025
Fax +91 - 1564 - 223852
[illegible]
[illegible]
www.iaseuniversity.org.in

This Memorandum of Understanding for collaboration hereby mutually agreed between-

Institute of Advanced Studies In Education (IASE) Deemed to be University, Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr, Distt. Churu (Rajasthan), **through its Registrar**

And

Netra Institute of Geoinformatics Management and Technologies Foundation, 11B, 1st Floor, Above SBI Bank, Opp Metro Pillar No 769, Near Dwarka Mor, New Delhi – 110059, **through its Chief Promoting Officer**

Whereas, the 'Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Deemed to be University' **is a deemed to be University recognized U/s 3 of the UGC Act, 1956** hereinafter referred as **'University'** and

Whereas, the 'Netra Institute of Geoinformatics Management and Technologies Foundation' is **an institute** run by **NIGMT Foundation** hereinafter referred as the **'Netra Foundation'** and

Collectively, hereinafter referred as 'parties'.

Therefore, after consideration of the mutual promises agreed to conduct the courses in collaboration of each other from the session 2020-21 and set forth this Memorandum of Understanding on the following terms and conditions –

1. Different academic/professional courses of different discipline shall be conducted in collaboration of both the parties at the main campus of the University
2. (a) In the primarily stage following six courses shall be introduced-
   1) PG Diploma in Geoinformatics,
   2) Diploma in GIS and Remote Sensing,
   3) Certificate in GIS,
   4) Certificate in Digital Photogrammetry,
   5) Certificate in LiDAR

[signature] [signature] NIGMT Foundation

Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University)
National Co-ordination office : Plot No. 8, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110075, Phone : +91-11-45528153/54, Fax : +91-11-45528149/56

Scanned with CamScanner

IASE
(deemed to be
university)

Accredited with 'B' Grade by NAAC

Main Campus
GANDHI VIDYA MANDIR
SARDARSHAHAR 331403 (Raj.)
Tel +91 - 1564 - 223642
+91 - 1564 - [illegible]
Fax +91 - 1564 - [illegible]
info@iaseuniversity.org.in
[illegible]@iaseuniversity.org.in
www.iaseuniversity.org.in

6) Certificate in Remote Sensing

(Duration, fees, intake and other details of courses are attached with the document as annex……).

(b) Number of courses can be increased or decreased on mutual consent of both the parties.

3. **Duties and Responsibilities -**

(i) **Netra Foundation-**

a. **Training -**

It will be responsibility of the Netra Foundation to provide necessary training to the admitted students as required in the curriculum of the course.

b. **Salary of staff-**

Netra Foundation will identify and hire the required staff for training as per requirement of the course. All the Salary and other expenditure of the staff required for the training will be borne by the Netra Foundation.

c. **Placement-**

It will be responsibility of Netra Foudnation to provide required consultancy and service for Placement to the pass out student.

(II) **The University-**

a. **Certification-**

It is responsibility of the University to take examinations and award Certificates to the candidates after successfully completion of course.

b. **Infrastructure -**

The University will make necessary arrangements to provide Infrastructure facilities required for the course.

c. **Boarding and lodging to the training staff-**

NIGMT Foundation

Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University)
National Co-ordination office : Plot No. 9, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110075. Phone : +91-11-45526153/54, Fax : +91-11-45526149/56

Scanned with CamScanner

IASE
(deemed to be university)
Accredited with 'B' Grade by NAAC
Main Campus
GANDHI VIDYA MANDIR
SARDARSHAHAR-331403 (Raj.)

It will be responsibility of the University to provide facility of boarding and lodging to the training staff during the course period

(iii) Alongwith the above all conditions both the parties mutually agreed upon that -

1. Necessary arrangements of Marketing for admission will be responsibility of both the parties i.e. Netra Foundation and the University.
2. The MoU of collaboration will be effective for a period of .... from the date .... or both the parties can terminate this MoU on mutual consent.
3. This MoU can be extended further on the mutual consent of both the parties

IN WITNESS, on behalf of parties having the authorities following authorized signatories signed this agreement/MoU on .... at place..........................

Signature of Parties-

(Mr. Jitendra Pareek)
Registrar
On behalf of Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Deemed to be University,
Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr, Distt. Churu (Raj.) – 331403

(Mr. Devendra Singh)
Chief Promoting Officer
On behalf of Netra Institute of Geoinformatics Management and Technologies Foundation,
11B 1[st] Floor, Above SBI Bank, Opp Metro Pillar No 769, Near Dwarka Mor, New Delhi – 110059

Signature of Witness :

Signature.........................
Name Sandeep Kumar

Signature.........................
Yours sincerely
Name ......Ravindra Nath Tiwari
(Head of the Dep. GeoInformatics)

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

Shala Darpan

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर-302017

दूरभाष 0141-2700872, E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : समसा / परिषद मुख्या.जय / शालादर्पण / 2019 / 695 दिनांक : 11/7/2019

अतिआवश्यक

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) मुख्यालय राजस्थान।
2. समस्त प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालय, (राजकीय एवं निजी) राजस्थान

विषय –शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन सम्बन्धी प्रशिक्षण वी.सी. बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के प्रशिक्षण / दिशा निर्देश हेतु दिनांक 15.07.2019 को दोपहर 11.00 बजे से 01.00 बजे तक प्रत्येक जिले के ब्लॉक स्तरीय अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपायुक्त शाला दर्पण की अध्यक्षता में एक विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई है।

अतः इसमें आप *स्वयं* उपस्थित रहने की सुनिश्चितता करें।

(एम.आर.बागडीया)
अति० राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिअ / जय / शालादर्पण / 2018 / 696 दिनांक: 11/07/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक मा.शि. / प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) प्रा.शि., जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएं, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. उपायुक्त (आई.टी.), समसा, परिषद् मुख्यालय को उक्त दिनांक को ब्लॉक 6 में स्थिति वी.सी. कक्ष 205 उपलब्ध करवाने हेतु।
9. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक एन.आई.सी शिक्षा संकुल जयपुर।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मा०शि० / प्रा०शि. मुख्यालय), राजस्थान को उक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालयों (राजकीय एवं निजी) के प्राचार्यो की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।
11. श्री एस.एन.यादव, अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि. शासन सचिवालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त–III

<table>
<tr><th rowspan="2">S.No.</th><th rowspan="2">Description</th><th colspan="2">Tentative</th></tr>
<tr><th>Start Date</th><th>End Date</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Institute Yearly Information Updation</td><td>10-07-2019</td><td>20-07-2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Candidate Registration</td><td>10-07-2019</td><td>10-08-2019</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Choice Fill</td><td>10-07-2019</td><td>10-08-2019</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Choice Lock</td><td>10-07-2019</td><td>10-08-2019</td></tr>
<tr><td>5</td><td>School Allotment</td><td colspan="2">14-08-2019</td></tr>
</table>

Search

S.No	Description	Tentative	
		Start Date	End Date
1	Institute Yearly Information Updation	21-01-2020	31-1-2020
2	Candidate Registration	21-01-2020	2802-2020
3	Choice Fill	20-2-2020	28-02-2020
4	Choice Lock	20-02-2020	26-02-2020
5	School Allotment	06-03-2020	

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 7(8)प्राशि / आयो / 2017 जयपुर, दिनांक 13/9/17

समस्त प्राचार्य,
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विद्यालय (राजकीय एवं निजी)
राजस्थान

विषय : **B.Ed/D.El.Ed. प्रशिक्षणार्थियों के इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पर प्रविष्टि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार B.Ed./D.El.Ed. के Candidates को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है और इस हेतु शाला दर्पण पर ऑनलाईन इन्टर्नशिप मॉड्यूल प्रारम्भ किया जा चुका है। जिसके बारे में आपको समय–समय पर विडियो कान्फ्रेंस एवं विभागीय आदेशों के माध्यम से अवगत करवाया जा चुका है। इस ऑनलाईन मॉड्यूल में समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा Candidates के रजिस्ट्रेशन किये जाने के पश्चात निम्न प्रक्रिया अनुसार विद्यालय आवंटन हेतु जिला एवं ब्लॉक की एन्ट्री की जानी है –

1. सर्वप्रथम http://rajrmsa.nic.in/ShaalaDarpan/Home/Public/Home.aspx पर जाकर वहां दिये गये "*महाविद्यालय लॉगिन*" के माध्यम से आपको पूर्व में उपलब्ध करवाये गये लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड से लॉगिन करें।
2. लॉगिन के पश्चात वहां दिये गये Candidate टैब पर क्लिक करें और खुलने वाली विण्डो में Admission Session की ड्रॉपडाउन विण्डो में द्वितीय वर्ष के लिये 2016–17 का चयन कर Go पर क्लिक करें। आप द्वारा 2016–17 में प्रवेशित Candidates का पंजीयन पूर्व में ही किया जा चुका है। सत्र 2017–18 में प्रवेशित Candidates का पंजीकरण चालू है।(Figure-1)
3. Go पर क्लिक करने पर आपके द्वारा पूर्व में प्रविष्ट किये गये आपकी संस्था में प्रशिक्षणरत Candidates की सूची दिखाई देगी। जिसमे प्रत्येक Candidate हेतु उसके सामने दिये गये "*Choose District For Internship*" में से वरियतानुसार तीन जिलो का चयन ड्रॉपडाउन सूची से कर "*Add*" बटन दबाये। (तीनों जिलों का चयन अनिवार्यतः किया जाना है) यदि चयनित जिलों में परिवर्तन करना है तो "Update" बटन का प्रयोग करें।(Figure-2)
4. उक्त के पश्चात Candidates के नाम के सामने दिये गये "*Add Block*" पर क्लिक करने पर आपके द्वारा चयन किये गये तीनों जिलों के सभी ब्लॉक्स की सूची दिखाई देगी। जिनके सामने प्राथमिकता क्रम दर्ज करें । (यहां प्रत्येक जिले हेतु कम से कम एक ब्लॉक को वरीयता देना आवश्यक है, यथा संभव सभी ब्लॉक्स की वरीयता दर्ज करें) एवं नीचे दिये गये "*Save*" के बटन से सेव कर "*Back*" बटन पर क्लिक करें। (Figure-3)

डॉ. राजकुमार शर्मा
Nodal

5. "*Back*" बटन पर क्लिक करने पर आप पुनः बिन्दु 3 की window में पहुंच जायेंगे। जहां प्रत्येक Candidates के सामने दिये गये "*Submit*" बटन को क्लिक करें। ऐसा करने पर Candidates के सामने आ रहे "Update/Add Block/Submit" विकल्प हट जायेंगे, अर्थात् सभी विकल्प लॉक हो जायेंगे। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ब्लॉक वरीयता प्रविष्टि के पश्चात "Submit" करना आवश्यक है।(Figure-4)

6. उक्त प्रक्रिया अनुसार आप द्वारा प्रत्येक Candidate की जितनी जल्दी वरीयता Submit की जायेगी उसी प्राथमिकता से Candidates को विद्यालय का आवंटन होगा।

7. प्रथम चयनित जिले एवं ब्लॉक में विद्यालय आवंटन न हो सकने की स्थिति में, दूसरी, तीसरी वरीयता के जिले/ब्लॉक से राज्य सरकार द्वारा आदेशित समयावधि के अनुसार विद्यालय आवंटन होगा। विद्यालय आवंटन "पहले Submit, पहले आवंटन" के आधार पर चाहे गये ब्लॉक में 'रेण्डम प्रक्रिया' के माध्यम से नि.शि.अ. प्रा.शि. द्वारा ऑनलाईन की जावे।

सुलभ संदर्भ हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 06.09.2017 एवं विडियो लिंक महाविद्यालय की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(सुनील कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा।
9. उपायुक्त-II, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. निदेशक, तकनीकी, एनआईसी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. समस्त संभाग शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि समस्त जिलो में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अधिक से अधिक प्रचारित कराने का श्रम करावें।
13. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ।
14. प्रभारी अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल
15. कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण पोर्टल को भेजकर लेख है कि उक्त समस्त प्रधानाचार्यों, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विद्यालय (राजकीय एवं निजी), को उक्त आदेश ई मेल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
16. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
17. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी

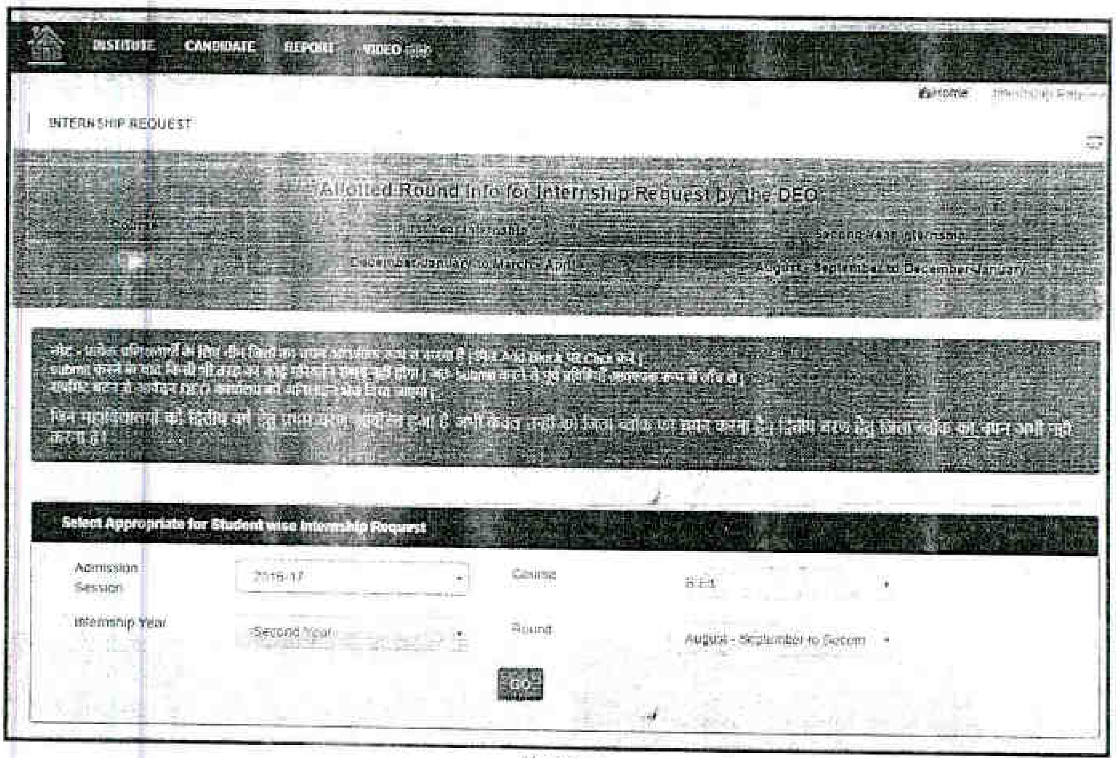

Figure 1

क्र.सं.	Roll No	Candidate Name	Father Name	Choose District For Internship			Action
				Choice 1	Choice 2	Choice 3	
1	01	ABHILASHA SHARMA	SITARAM SHARMA	JAIPUR	S.MADHOP	TONK	Update Add Block Submit
2	02	ANITA CHOUDHARY	RAMPRASAD CHOUDHARY	JAIPUR	TONK	DAUSA	Update Add Block Submit
3	03	ANITA CHOUDHARY	SHYORAM CHOUDHARY	JAIPUR	TONK	DAUSA	Update Add Block Submit
4	04	ANITA SHARMA	SHAMBHU DAL SHARMA	JAIPUR	DAUSA	TONK	Update Add Block Submit
5	06	ANJU MEENA	NAND PAL MEENA	--Select Dis	--Select Dis	--Select Dis	Add
6	07	ANKITA RANI VERMA	VINOD KUMAR VERMA	--Select Dis	--Select Dis	--Select Dis	Add
7	08	ANKITA SHARMA	RAMPRAKASH SHARMA	JAIPUR	TONK	DAUSA	Update Add Block Submit

Figure 2

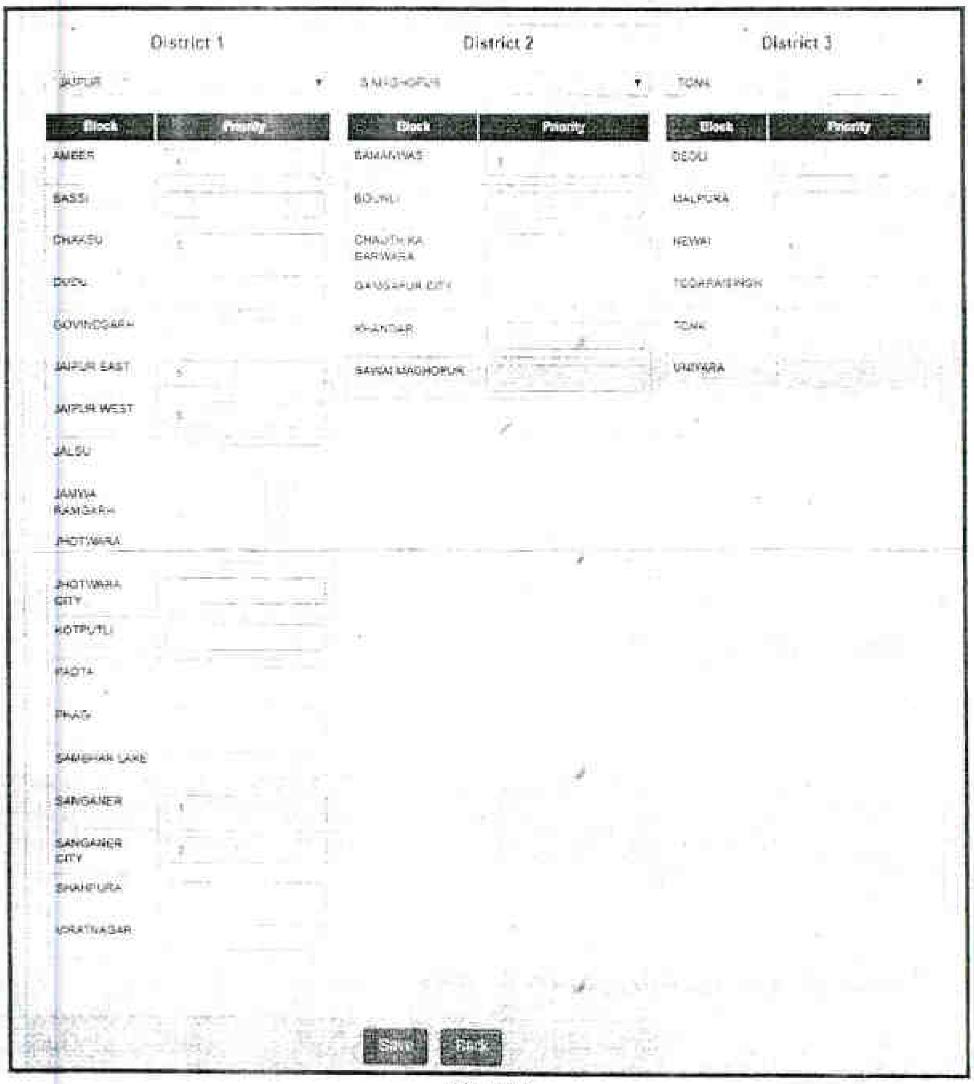

Figure 3

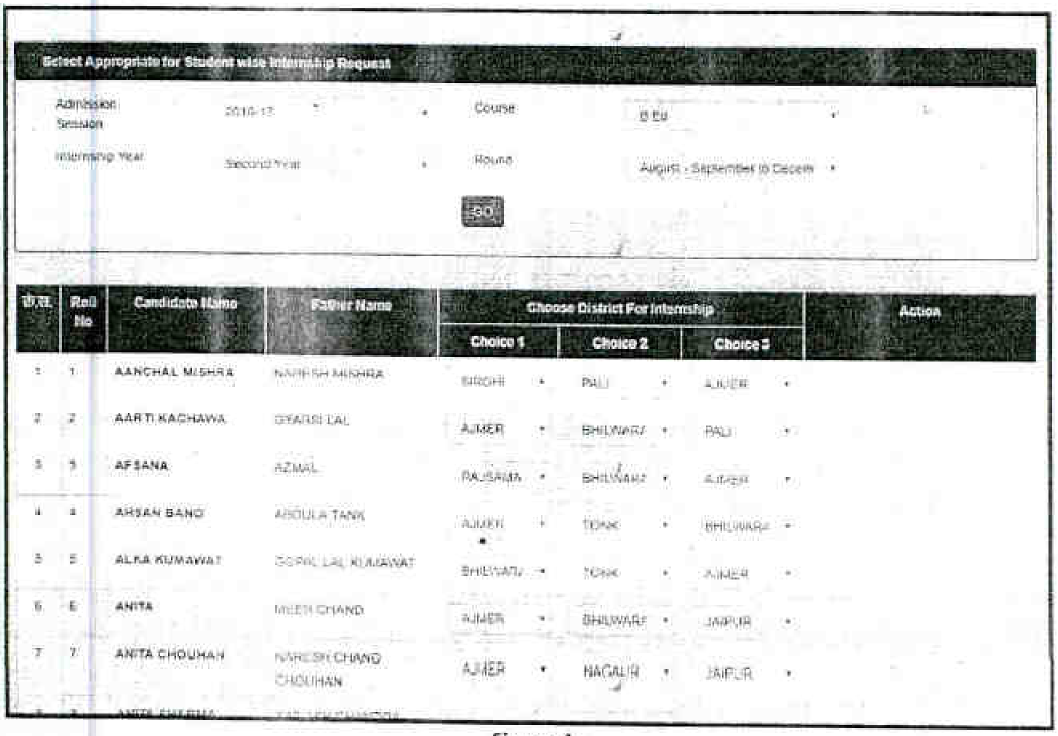

Figure 4

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक प. 7(5)प्राशि/आयो/2017 जयपुर, दिनांक: 06/09/2017

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा B.Ed./D.El.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ मे अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष मे 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष मे 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयो मे ही किया जाना निश्चित किया गया है। **B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम** हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन **Online Internship Module** के माध्यम से किया जाएगा।

इस विभाग द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन करने के सम्बन्ध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2017 एवं 20.06.2017 मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. रिक्त पदो की सूची पूर्व जारी आदेश क्रमांक प.7(5)प्राशि/आयो/2017 दिनांक 21.04.2017 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 15 जून को रिक्त पदों के अनुसार रहेगी।
2. महाविद्यालय सत्रवार प्रशिक्षणार्थियों का शाला दर्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा आवंटित चरण के अनुसार सभी पात्र प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप हेतु आवेदन करेगा। जिसमें 3 जिलों एवं चयनित जिलो के लिए वांछित क्रम मे ब्लॉक का चयन करेगा। महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थियों से इंटर्नशिप आवेदन पत्र भरवाकर स्वयं के पास रखें।
3. इंटर्नशिप आवेदन को प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन देखा जा सकेगा किन्तु अन्तिम जिम्मेदारी महाविद्यालय की रहेगी।
4. निर्धारित समय सीमा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), प्रथम/द्वितीय/तृतीय वरीयता के अनुसार विद्यालय आवंटन करेंगें।
5. विद्यालय आवंटन हेतु क्रम निम्नानुसार रहेगा:-
   मॉडल विद्यालय, आदर्श विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 60 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों के ग्रुप में रेण्डम आधार पर होगा तथा उपरोक्त क्रम मे प्रथम वरीयता महिला प्रशिक्षणार्थियो की होगी।
6. जिन प्रशिक्षणार्थियो ने Request Submit नहीं की उनकी Request समय सीमा के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जाएगी तथा उनको विद्यालय का आवंटन राज्य स्तरीय Online Internship Module प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा तथा आवंटित विद्यालय दण्ड स्वरूप अन्तंजिला हो सकता है।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) महाविद्यालयों से निर्धारित समय सीमा में समस्त कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
8. यदि कोई जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) निर्धारित समय में विद्यालय आवंटन का कार्य नहीं करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) की रहेगी तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
9. विद्यालय संस्था प्रधान प्रशिक्षणार्थी की इंटर्नशिप अवधि पूरी होते ही अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करेंगें।

इंटर्नशिप कार्यक्रम की निर्धारित समय सीमा निम्न प्रकार रहेगी :

	इन्टर्नशिप प्रक्रिया	अन्तिम तिथि
1	महाविद्यालय लॉगिन एवं प्रोफाईल अपडेट	05.09.2017
2	जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा महाविद्यालयों हेतु चरण आवंटन	05.09.2017

3	प्रशिक्षणार्थियों का महाविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन	05.09.2017
4	प्रथम चरण हेतु Internship Request	15.09.2017
5	प्रथम चरण का प्रथम Allotment	18 एवं 19.09.2017
6	प्रथम चरण का द्वितीय Allotment	21 व 22.09.2017
7	प्रथम चरण का तृतीय Allotment	25 एवं 26.09.2017
8	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विद्यालय में रिपोर्टिंग –	आवटन के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से

शेष यथावत रहेगा।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा। 134
9. निदेशक, तकनीकी, एनआईसी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. समस्त संभाग शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
12. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.।
13. प्रभारी अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल।
14. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी

B.S.P.M./66
06/07/2018

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

Shala Darpan

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2700872, E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : समसा/परिषद मुख्या.जय/शालादर्पण/2018/249 — दिनांक: 03/07/18

अतिआवश्यक

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) राजस्थान।
2. समस्त प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय, (राजकीय एवं निजी) राजस्थान

विषय –शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन सम्बन्धी प्रशिक्षण वी.सी. बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के प्रशिक्षण/दिशा निर्देश हेतु दिनांक 09.07.2018 को दोपहर 02.00 बजे से 04.00 बजे तक प्रत्येक जिले के ब्लॉक स्तरीय अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय –जयपुर की अध्यक्षता में एक विडियों कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई है।

अतः इसमें आप *स्वयं* उपस्थित रहने की सुनिश्चितता करें।

(सुरेश चन्द्र)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिअ/जय/शालादर्पण/2018/249 — दिनांक:03/07/2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक मा.शि./प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) प्रा.शि., जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाऐं, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. उपायुक्त (आई.टी.), समसा, परिषद् मुख्यालय को उक्त दिनांक को ब्लोक 6 में स्थिति वी.सी. कक्ष 205 उपलब्ध करवाने हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मा0शि0/प्रा0शि.) प्रथम/द्वितीय, राजस्थान को उक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालयों (राजकीय एवं निजी) के प्राचार्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।
10. श्री एस.एन.यादव, अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि. शासन सचिवालय, जयपुर।
11. डॉ. देवेन्द्र जोशी, कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(आभा बेनिवाल)
उपायुक्त

IESSAGE

संस्था द्वारा करने योग्य कार्य -

Institute मेनू के माध्यम से सर्वप्रथम महाविद्यालय की प्रोफाइल अपडेट करें। पोर्टल दिए गए मोबाइल न. पर ही SMS के माध्यम से संपर्क करेगा। मोबाइल न. में परिवर्तन हेतु महाविद्यालय के ईमेल एड्रेस से, पोर्टल की ईमेल आईडी internsraj@gmail.com पर ईमेल करें।

गत सत्र एवं वर्तमान सत्र में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों का विवरण Candidate मेनू के प्रोग्राम Candidate रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रविष्ट करें। एक अथवा अधिक बालकों के छुटने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

दी गयी समयावधि में, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थि के लिए राउंड वार इंटर्नशिप आवेदन करने हेतु Candidate मेनू के प्रोग्राम Internship रिक्वेस्ट का उपयोग करें।

B.Ed/D.El.Ed. प्रशिक्षणार्थियों के इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पर प्रविष्टि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

in:sent

Gmail

Move to Inbox | More

COMPOSE

Inbox (14)
Starred
Important
Sent Mail
Drafts (73)
Categories
Social (2)
Promotions (4)
Updates (1)
Forums

Gandhi Vidya M +

our new mobile no. regarding the sms for internship

BTTC GVM <bttc.gvm@gmail.com>
to internsraj

Sir/Madam,

Please find herebelow our new mobile no. regarding the sms for internship.

Institute Name - Buniyadi Shikshak Prashikshan Mahavidyalya
Institute Code - 110C002
Mobile No. - 6377915041

With Regards,
Principal
Buniyadi Shikshak Prashikshan Mahavidyalya (CTE)
Gandhi Vidya Mandir
Sardarshahr (Raj.)
+91 1564 220056/57

Click here to Reply or Forward

No recent chats
Start a new one

11.94 GB (79%) of 15 GB used
Manage

Terms - Privacy - Program Policies

बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीटीई)
गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर (राजस्थान)
फोन न.01564-220056, 220057
मो.न.- 6377915041
Email:-bttc.gvm@gmail.com

बीएसपीएम/सीटीई/2018-19/20 दिनांकः 16.07.2018

प्रतिष्ठा में,
श्रीमान प्रभारी,
शाला दर्पण,
राजस्थान सरकार,
स्कूल शिक्षा विभाग,

विषय : मोबाइल नं. पर इन्टर्नशिप संबंधी सूचना के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि महाविद्यालय से संबंधित इन्टर्नशिप की सूचना अग्रांकित मोबाइल नं. पर उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

मोबाइल नं. - 6377915041
महाविद्यालय कोड - 110C002

सादर!

भवदीय,

प्राचार्य

प्राचार्य
बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/सीटी
गाँधी विद्या मन्दिर,सरदारशहर

Gmail

More

COMPOSE

Inbox (14)
Starred
Important
Sent Mail
Drafts (73)
Categories
Social (2)
Promotions (5)
Updates (1)
Forums

Gandhi Vidya M +

No recent chats
Start a new one

our new mobile no. regarding the sms for internship

Inbox x

BTTC GVM <bttc.gvm@gmail.com>
to internsraj

Sir/Madam,

Please find herebelow our new mobile no. regarding the sms for internship.

Institute Name - Buniyadi Shikshak Prashikshan Mahavidyalya
Institute Code - 110C002
Mobile No. - 6377915041

With Regards,
Principal
Buniyadi Shikshak Prashikshan Mahavidyalya (CTE)
Gandhi Vidya Mandir
Sardarshahr (Raj.)
+91 1564 220056/57

internsraj
to me

Pls send on letter with seal &Sign

Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

aDarpan <no-reply@rajrmsa.nic.in> 4:18 PM (20 hours ago)

Rajasthan Council of Secondary Education - RCSE

Dear Sh./Smt./Kumari

Respected Sir/ Madam,

For Ex- Students registration will be start from 25th July and activate only for 2 days. Pls fill all details on that dates, after that no chance will be given.

To open attachment Click here.

Warm Regards
DR. DEVENDRA JOSHI
STATE PROGRAM OFFICER
FOLLOW US ON:Shaaladarpan

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph (II), in the Note, for the figure and word "65 years", the words *"seventy years"* shall be substituted.

8. In Appendix-10 to the said regulations, in paragraph 5, in sub-paragraph (2), in clause (a), for sub-clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) Graduation or Post-Graduation Degree with fifty per cent marks: Provided that the requirement of fifty per cent marks shall not apply to persons appointed as teachers prior to the commencement of the National Council for Teacher Education (Regulations Norms and Procedure) Second Amendment Regulations, 2010."

HASIB AHMAD, Member-Secy.

[ADVT III/4/131/10-Exty.]

Note : The principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. 51-1/2009/NCTE (N&S), dated the 31st August, 2009 and subsequently amended *vide* notification number F. 48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated the 30th March, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

.चार्य

....

....

....

विषय – ईन्टर्नशीप हेतु विद्यालयों की सूची ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं बी.एड./डी.एल.एड. प्रथम/द्वितीय वर्ष का/की नियमित प्रशिक्षणार्थी हूँ तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रथम/द्वितीय वर्ष विद्यालय स्थानबद्ध कार्यक्रम (ईन्टर्नशीप) हेतु वरीयतानुसार निम्न 10/15 राजकीय विद्यालय शालादर्पण पोर्टल पर पूर्ति करने हेतु सहमति देता/देती हूँ तथा आवंटन के बाद विद्यालय परिवर्तन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी ।

(विद्यालय की वरीयता शाला दर्पण से Vacancy List से ही दर्ज करें)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम अंग्रेज़ी में (वरीयता अनुसार)	ब्लॉक	जिला
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

नोट :– यदि उपरोक्त विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने के कारण कोई विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो क्र.सं. 1 पर अंकित ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में आवंटन कर दिया जावे।

नाम प्रशिक्षणार्थी :

रोल न. :

महाविद्यालय कोड :

हस्ताक्षर प्रशिक्षणार्थी

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

Shala Darpan

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2700872, E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : समसा / परिषद मुख्या.जय / शालादर्पण / 2018 /254 दिनांक: 9/7/2018

अतिआवश्यक

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) राजस्थान।
2. समस्त प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालय, (राजकीय एवं निजी) राजस्थान

विषय –शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन सम्बन्धी प्रशिक्षण वी.सी. बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के प्रशिक्षण / दिशा निर्देश हेतु दिनांक 13.07.2018 को दोपहर 02.00 बजे से 04.00 बजे तक प्रत्येक जिले के ब्लॉक स्तरीय अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय –जयपुर की अध्यक्षता में एक विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई है।

अतः इसमें आप स्वयं उपस्थित रहने की सुनिश्चितता करे।

(सुरेश चन्द्र)
अति० राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिअ / जय / शालादर्पण / 2018 / 255 दिनांक: 9 / 7 / 2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक मा.शि. / प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) प्रा.शि., जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएं, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. उपायुक्त (आई.टी.), समसा, परिषद् मुख्यालय को उक्त दिनांक को ब्लॉक 6 में स्थिति वी.सी. कक्ष 205 उपलब्ध करवाने हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मा०शि० / प्रा०शि.) प्रथम / द्वितीय, राजस्थान को उक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालयों (राजकीय एवं निजी) के प्राचार्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।
10. श्री एस.एन.यादव, अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि. शासन सचिवालय, जयपुर।
11. डॉ. देवेन्द्र जोशी, कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त–III

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि / आयो / 2018 जयपुर, दिनांक: 06.06.2018

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(1)प्राशि / आयो / 2016 जयपुर दिनांक 20 सितम्बर 2016 के द्वारा B.Ed./D.El.Ed. के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो के लिए प्रथम वर्ष मे 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष मे 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयो मे ही किया जाना निश्चित किया गया है। **B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय / निजी विद्यालयों का आवंटन करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, प्रथम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।**

नोडल अधिकारियो द्वारा प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

1. सामान्य निर्देश :–

1.1 B.Ed./D.El.Ed. के प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन करने के लिए जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगी:–

i-	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम (नोडल अधिकारी)	–समन्वयक
ii-	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, द्वितीय	–सदस्य
iii-	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रथम / द्वितीय	–सदस्य
iv-	प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)	–सदस्य
v-	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी / अति. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोष्ठ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम	–सदस्य सचिव

1.2 प्रशिक्षणार्थियो को उनके गृह जिले मे इंटर्नशिप कार्यक्रम किए जाने की अनुमति होगी।

1.3 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित अंकभार प्रदान करते हुए इन्टर्नशिप कार्यकम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित अंकभार प्रदान करते हुए इन्टर्नशिप कार्यकम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए) / ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा।

2. इन्टर्नशिप कार्यकम का आवंटन समय निर्धारण

2.1 डी.एल.एड / बी.एड में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार दो चरणों में सम्पादित की जावेगी:–

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

Shala Darpan

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2700872, E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : समसा / परिषद मुख्या.जय / शालादर्पण / 2018 / 249 दिनांकः 03/07/18

अतिआवश्यक

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) राजस्थान।
2. समस्त प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालय, (राजकीय एवं निजी) राजस्थान

विषय –शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन सम्बन्धी प्रशिक्षण वी.सी. बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के प्रशिक्षण / दिशा निर्देश हेतु दिनांक 09.07.2018 को दोपहर 02.00 बजे से 04.00 बजे तक प्रत्येक जिले के ब्लॉक स्तरीय अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय –जयपुर की अध्यक्षता में एक विडियों कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई है।

अतः इसमें आप ***स्वयं*** उपस्थित रहने की सुनिश्चितता करे।

(सुरेश चन्द)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिअ / जय / शालादर्पण / 2018 / 249 दिनांकः03/07/2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक मा.शि. / प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) प्रा.शि., जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाऐ, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. उपायुक्त (आई.टी.), समसा, परिषद् मुख्यालय को उक्त दिनांक को ब्लॉक 6 में स्थिति वी.सी. कक्ष 205 उपलब्ध करवाने हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मा0शि0 / प्रा0शि.) प्रथम / द्वितीय, राजस्थान को उक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालयों (राजकीय एवं निजी) के प्राचार्यो की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।
10. श्री एस.एन.यादव, अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि. शासन सचिवालय, जयपुर।
11. डॉ. देवेन्द्र जोशी, कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(आभा बेनिवाल)
उपायुक्त

(i) प्रथम चरण – माह 09 जुलाई से 31 जुलाई तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा तथा इंटर्नशिप माह नवम्बर–दिसम्बर तक पूर्ण होगी।

(ii) द्वितीय चरण – माह 7 नवम्बर से 20 दिसम्बर से तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा तथा इंटर्नशिप सत्रान्त तक पूर्ण होगी। ।

2.2 डी.एल.एड / बी.एड पाठ्यक्रम मे प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो को 4 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु दीपावली अवकाश के पश्चात द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयो का आवटंन किया जावेगा।

2.3 डी.एल.एड पाठ्यक्रम मे द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियो को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में जुलाई–अगस्त माह मे राजकीय विद्यालयो का आवटंन किया जावेगा।

2.4 बी.एड पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्यनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरणों में (जिले की आधी संस्थाओ को प्रथम चरण में तथा शेष आधी संस्थाओं को द्वितीय चरण में) राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रथम द्वारा जिले मे संचालित समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ की सूची तैयार की जाएगी। जिले की आधी संस्थाओं को द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियो हेतु प्रथम चरण के इंटरनशिप कार्यक्रम का आवंटन तथा शेष आधी संस्थाओं के द्वितीय चरण के इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन कर सभी संबंधित संस्थाओं एवं सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा को सूचित किया जावेगा। यह सूचना विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in पर भी अपलोड की जावेगी।

3. इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियो को राजकीय विद्यालयो का आवटंन की प्रकिया

3.1 जिले मे संचालित समस्त विद्यालयों मे इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियो की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:–

आदर्श विद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द माडॅल स्कूल	उत्कृष्ट विद्यालय	कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय	शेष समस्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	शेष समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय
15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद+02	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+02	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद + 01	15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद + 02	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद + 01

उपरोक्तानुसार विद्यालयों को इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या डी.एल.एड / बी.एड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिये दोनो चरणों हेतु पृथक–पृथक निर्धारित की जावेगी।

3.2 सत्र 2018–19 में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत **B.Ed.** एवं **D.El.Ed.** के अतिरिक्त **NCTE** के नियमानुसार

शिक्षक प्रशिक्षण के विभिन्न इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम यथा **B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Ed.-M.Ed., M.Sc.-B.Ed.** के प्रशिक्षणार्थियों को भी इंटर्नशिप कार्यक्रम राजकीय/निजी विद्यालयों में करवाया जाना है। अतः नोडल अधिकारियो द्वारा **D.El.Ed., B.Ed., B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Ed.-M.Ed.** एवं **M.Sc.-B.Ed.** के प्रशिक्षणार्थियो को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयो का आवंटन किये जाने की अनुमति दी जावेगी।

3.3 बिन्दू संख्या 3.1 एवं 3.2 के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु दोनो चरणों में इन्टर्नशिप के लिये आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थीयों की डी.एल.एड./बी.एड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष हेतु पृथक–पृथक अधिकतम संख्या का निर्धारण "राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSCE)" द्वारा शाला दर्पण पोर्टल एवं शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से किया जाकर विद्यालयवार आवंटित प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या की सूचियां राज्य स्तरीय लॉगिन, शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त विद्यालयो के लौगिन आई डी पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह कार्यवाही 20 जून तक संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3.4 शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर सूची उपलब्ध होने के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विद्यालय आवंटन मॉड्यूल द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम हेतु ऑन–लाईन आवेदन लिए जाएंगे।

इन्टर्नशिप हेतु पात्रता

क. सं.	इंटर्नशिप चरण	इंटर्नशिप हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की तिथि
1.	**प्रथम चरण** (i) डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी। (ii) बी.एड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी जिन्हे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा–प्रथम द्वारा प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया हैं।	माह 09 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।
2	**द्वितीय चरण** (i) डी.एल.एड. एव बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी। (ii) बी.एड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी जिन्हे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा–प्रथम द्वारा द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया हैं।	माह 7 नवम्बर 2018 से 20 दिसम्बर 2018 तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

3.5 शाला दर्शन / शाला दर्पण पोर्टल पर सूची उपलब्ध होने के पश्चात् इन्टर्नशीप हेतु सत्र 2018–19 के लिए ऑनलाइन प्रकिया द्वारा आवेदन लिए जाकर विद्यालय आवंटन रैंडम प्रकिया के द्वारा ऑनलाइन ही किया जावेगा। इस प्रकिया के लिए एन.आई.सी. को सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए अधिकृत किया जाता है। एन.आई.सी. द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय आवंटन मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर तैयार किया जावेगा। ऑनलाइन विद्यालय अलोटमेंट प्रोसेस के निम्न चरण / प्रकिया होगी:–

3.5.1 महाविद्यालय अपने लॉग इन से अभ्यर्थियों के पंजीयन के पश्चात, पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार, राउंडवार इन्टर्नशीप हेतु निर्धारित समय सीमा में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन सबमिट करवाये जाएगें। इस ऑनलाईन आवेदन प्रकिया में महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी उसकी च्वॉइस के ब्लॉक के 10 विद्यालयों की प्राथमिकता के कम में सबमिट करेगें, जहाँ अभ्यर्थियो को विद्यालय आवंटित किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा Fill-up की गयी चॉइस को अभ्यर्थी पब्लिक डोमेन पर देखकर उसमें परिवर्तन करना चाहेगा तो ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व, महाविद्यालय द्वारा पंजीयन के समय दिए गए मोबाइल पर प्राप्त OTP प्रोसेस द्वारा, परिवर्तित कर सकेगा।

3.5.2 विद्यालय आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही शाला दर्पण पोर्टल से निर्धारित समय सीमा में फेज वाइज विद्यालय आवंटन किया जावेगा।

3.5.3 अभ्यर्थी द्वारा लिए गए प्रथम आवेदन की 10 विद्यालयों की प्राथमिकता को देखा जाएगा एवं संबंधित ब्लॉक के विद्यालयों में वेकेन्सी (निर्धारित की गणना अनुसार) की उपलब्धता के आधार विद्यालयों का एक डाटा पैकेट बनाया जाएगा, जिसका आधार निम्न होगा:–

3.5.3.1 संबंधित ब्लॉक में अभ्यर्थियों की संख्या, ब्लॉक में उपलब्ध कुल वेकेन्सी से अधिक है तो "मॉडल, आदर्श, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उत्कृष्ट, उ.प्रा. (>100 नामांकन) एवं प्रा. (>60 नामांकन) विद्यालयों का एक ही पैकेट बनाया जाएगा।

3.5.3.2 वेकेन्सी नहीं होने की स्थिति में पहले "मॉडल, आदर्श, उ.मा., मा. एवं उत्कृष्ट विद्यालय का पैकेट बना कर अलोटमेंट किया जाएगा। इस पैकेट के विद्यालय का एलॉटमेंट होने के पश्चात अर्थात इनमें कोई वेकेन्सी नहीं होने की स्थिति में उ.प्रा. (>100 नामांकन) एवं प्रा. (>60 नामांकन) विद्यालयों का पैकेट बना कर रैंडम प्रकिया द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाएगा।

3.6 **D.El.Ed./B.Ed.** पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की कुल 20 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम में से प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में ऐच्छिक प्रावधान कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20 प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम कराना चाहते है वें 10 निजी विद्यालयों से सहमति पत्र प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे।

3.7 **D.El.Ed./B.Ed.** पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को आगामी चरणों में प्रशिक्षणार्थियों से उनके इच्छित ब्लॉक के 10 राजकीय विद्यालयों की च्वाईस मांगी जाकर वरीयता क्रम में **"पहले आओं पहले पाओं के सिद्वान्त पर"** विद्यालय आवंटन मोड्यूल के माध्यम से इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालय का आवंटन किया जावें।

3.8 शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इन्टर्नशिप कार्यकम हेतु प्रशिक्षणार्थियो का आवंटन शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा।

3.9 आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में संबंधित संस्था प्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के सात दिवस में इंटरनशिप हेतु उपस्थिती देनी होगी। संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस में अनिवार्यतः शाला दर्पण/शाला दर्शन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।

3.10 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय मे पूरे समय उपस्थित रहना होगा। प्रशिक्षणार्थी 4 कालांश विद्यालय मे अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापको की कक्षा मे उपस्थित रहकर शिक्षण विधियो का अवलोकन करेगें एवं शेष 4 कालांश में प्रशिक्षणार्थी विद्यालय में कार्यरत अध्यापको की देखरेख मे अध्यापन कार्य करेंगे।

3.11 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम दो दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 7 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्यदिवस में नहीं होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। इन्टर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा तथा कार्यमुक्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रशिक्षार्थी को उपस्थित होना होगा।

3.12 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी कक्षा 1 से 5 में S.I.Q.E. एवं A.B.L. पद्वति से अध्यापन करवाएगे। इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियो को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम, विधियो एवं संकल्पनाओ को समझने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

3.13 इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियो को अभिभावको व सामुदायिक इकाईयो से भी सम्पर्क करवाया जावे।

3.14 इन्टर्नशिप कार्यकम के लिए एन.सी.टी.ई. के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत डी.एल.एड/बी.एड मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्व कार्यकम (इन्टर्नशिप) सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSCE) जयपुर।

4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को सम्बद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित करवाने हेतु प्रेषितहै।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. निदेशक, एन.आई.सी. रमसा, जयपुर।
9. पंजीयक, शिक्षा विभागीए परीक्षाऐं, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
10. समस्त संभागीय उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा संभाग ....।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, जिला ....।
12. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला ....।
13. समस्त प्रधानाचार्य, निजी/राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।
14. समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी(बीईईओ)/पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
15. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण/शाला दर्शन प्रकोष्ठ।
16. श्री देवेन्द्र जोशी कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी ऑनलाईन विद्यालय आवंटन मॉड्यूल, शाला दर्पण प्रकोष्ठ।
17. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: F24 (स्कॉलरशिप) सीएस/ आयात्री/18/355 दिनांक:-18.6.2018

प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
कृपया विभाग वेबसाईट पर अपलोड करावें।

18.6.18.
संयुक्त नि... (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between Interfaith Foundation, India through its President Prof. M.M. Verma and the Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called IF and second IASE.

Purpose

The purpose of this Agreement is to promote Research activities like organization of Conferences, Seminars, Workshops, working on Research Projects and other academic activities in the Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

1. Research projects in the field of Religious Harmony;
2. Exchange of academic publications and reports;
3. Organization of Seminars, Workshops and Conferences:
4. President, Interfaith Foundation, India Prof. M.M. Verma sanctioned higher level Research Fellowships of Rs. 1 lakh to three scholars:
5. Other activities as mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of five (5) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty

(30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the five-year period, and it must be renewed in writing.

This Memorandum of Understanding completed in English is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

FOR THE INTERFAITH FOUNDATION, INDIA

Date: 10-06-2019.

Prof. M.M. Verma
President
Interfaith Foundation, India

FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY), SARDARSHAHR

Date: 10. 6. 19

Jitendra Pareek
Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1	Witness 2
Signature	Signature
Name : Ganesh Das Swami	Name : Shanti Parkash Dugar
Address : Sanwalsar, Sardarshahr, Churu	Address : Banida Baas, Near Bucha Guest House, Sardar Shahr

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between *Shagun Seasoning & Arts , Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Proprietor Sh. Vikas Ladia and the *Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Shagun Seasoning & Arts and second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of handicraft industrial training. To help the students to develop the skill of handicraft and the industry may get a trained manpower when ever required.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

Training in Handicraft for selected students not more than 25 in an year. No payment shall be made to either party for training. Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of one (1) year from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty (30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the one-year period, and it must be renewed in writing.

This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

FOR SHAGUN SEASONING & ARTS, SARDARSHAHR, RAJASTHAN, INDIA

For Shagun Seasoning & Arts

Partner / Manager

Date: 08-01-2020

Name : Vikas Ladia
Authorised Signatory
Shagun Seasoning & Arts, Sardarshahr, Rajasthan

FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY), SARDARSHAHR

Date: 08-01-2020

Jitendra Pareek
Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1	Witness 2
Signature	Signature
Name : Mohanlal Chaudhary	Name : Mitesh Chaudhary
Address : Near Meena Wall Sardarshahr	Address : Ram mandir Road Sardarshahr

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between *Provis Technologies Private Limited, 503, Signature Tower, DC-2 Lalkothi Scheme, District Shopping centre, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan, India* through its Proprietor Sh. Vivek Sharma and the *Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Provis Technologies and second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of software technology. To help the students to develop the skill of software devlopment and the industry may get a trained manpower when ever required.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

Training in software technology for selected students not more than 25 in an year. No payment shall be made to either party for training. Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of one (1) year from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty

Vivek

(30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the one-year period, and it must be renewed in writing. This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

FOR PROVIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

For PROVIS TECHNOLOGIES PVT. LTD.

Date: 08-01-2020

Name : VIVEK SHARMA
Authorised Signatory Director
Provis Technologies Private Limited,
Jaipur, Rajasthan

FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY), SARDARSHAHR

Date: 08-01-2020

Jitendra Pareek
Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1

Signature

Name : Deepak Shah

Address : P.No. 9A, Alankar Vihar colony, Panchyawala, Sirsi Road, Jaipur

Witness 2

Signature

Name : Mitesh Chaudhary

Address : Ram mandir Road Sardarshahr

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between *Axis Web Art, Sardarshahr, Rajasthan,India* through its Proprietor Sh. Dhanpat Saranand the *Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Axis Web Artand second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of software technology. To help the students to develop the skill of software devlopment and the industry may get a trained manpower when ever required.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agreeto promote the following activities:
Training in software technology for selected students not more than 25 in an year.No payment shall be made to either party for training.Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remainvalid for a period of one (1) year from the date of the last signature, with the understanding thatit may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may beterminated by either Party with advance written notice of at least thirty (30) days. The agreement maybe extended by mutual consent of both parties after the one-year period, and it must berenewed in writing.

This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copieswith one (1) copy remaining in the possession of each institution.

FORAXIS WEB ART, SARDARSHAHR, RAJASTHAN, INDIA

Dhut Ram Saran

Date: 10/01/2020

Name :
Authorised Signatory
Axis Web Art,
Sardarshahr, Rajasthan

FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY), SARDARSHAHR

Date: 10-01-2020

Jitendra Pareek
Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1	Witness 2
Signature	Signature
Name : Surendra Singh Rathore	Name : Mitesh Chaudhary
Address : UDSAR Lodera Sardar Shahar	Address : Ram mandir Road Sardarshahr

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between Maruti Art & Craft, Sardarshahr, Rajasthan, India through its Authorised Signatory Sh. Surya Prakash Bansal and the Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Maruti and second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of handicraft industrial training. To help the students to develop the skill of handicraft and the industry may get a trained manpower when ever required.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

Training in Handicraft for selected students not more than 25 in an year. No payment shall be made to either party for training. Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of three (3) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty (30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the three-year period, and it must be renewed in writing.

This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

FOR MARUTI ART & CRAFT, SARDARSHAHR, RAJASTHAN, INDIA

M/s. Maruti Art And Crafts

Prop./Manager

Date: 15/02/2019

Surya Prakash Bansal
Authorised Signatory
Maruti Art & Craft, Sardarshahr,
Rajasthan

FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY), SARDARSHAHR

Date: 15/02/2019

Jitendra Pareek
Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1	Witness 2
Signature	Signature
Name : SHANTI PRAKASH DUGAR	Name :
Address : BANEDA BAAS, W. No. 8, SARDARSHAHR	Address :

अनुबंध-पत्र (Memorandum of Understanding)

अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), गाँधी विद्यामंदिर, सरदारशहर।-प्रथम पक्ष

एवं

प्राचार्य, सेठ भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्व भारती, गाँधी विद्यामंदिर,

सरदारशहर।- द्वितीय पक्ष

हम दोनों पक्षकारान के मध्य निम्मलिखित रूप से अनुबंध किया जात है-

1. यह कि आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), गाँधी विद्यामंदिर, सरदारशहर द्वारा 25 राजकीय विद्यालयों(22 ग्रामीण एवं 03 शहरी) में शैक्षिक सम्बलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है इन विद्यालयों में बच्चों को स्वास्थ्य और जीवन रक्षक, प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम रह सके और अपना जीवन यापन सुचारु और सुगम तरीके से कर सकें।

2. उद्देश्य -

1. यह कि उक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर आयुर्वेद विश्व भारती और आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा इन विद्यालयों के बच्चों को जागरूक करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
2. यह कि आयुर्वेद विश्वभारती द्वारा समय-समय पर विद्यालय, छात्र, अध्यापक, अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जायेगी।
3. विद्यालयों के बच्चोंका समय-समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर स्वास्थ्य जाँचकी जायेगी व शारीरिक स्वस्थता रख-रखाव, खान-पान आदि की जानकारी दी जायेगी।
4. यह कि आयुर्वेद विश्वभारती द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता पैदा की जायेगी।
5. यह कि समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों, अभिभावकों के साथ विचारों व जानकारी का आदान-प्रदान किया जायेगा।
6. यह कि विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों व शैक्षणिक अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से उन्नत स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेदिक औषधियों व आयुर्वेदिक वन सम्पदा, पेड़ पौधे व प्रति दिन भोजन में पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान की जायेगी।

3. सहयोग-

1. चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

2. आयुर्वेद विश्व भारती और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य आपसी विचार व जानकारी का आदान प्रदान होगा।

3. समय-समय पर विषय-विशेषज्ञों की विशेष वार्ता व कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें।

4. आर्थिक व्यवस्था-

1. यह कि कार्यक्रम आयोजन हेतु समस्त व्यय मानित विश्वविद्यालय द्वारा ही वहन किया जायेगा।

2. स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता हेतु प्रशिक्षण सामग्री व साधन आयुर्वेद विश्व भारती द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।

3. यह कि उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यदि कोई यात्रा की जाती है या कोई अन्य खर्चा होता है तो उसकी व्यवस्था मानित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

5. नियम और शर्तें-

1. अनुबन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर ही किया जा सकेगा।

2. विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना पूर्व में दी जानी आवश्यक है।

3. कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आर्थिक व्यय दोनों पक्षों के पास उपलब्ध वित्त व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा।

6. समन्वयन- यह कि दोनों पक्षों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आपसी विचार विमर्श के पश्चात कार्यक्रम आयोजन हेतु दिनांक, स्थान व समय का निर्धारण किया जायेगा।दोनों पक्ष आपसी समन्वय बनाये रखेंगे।

7. प्रकाशन-आपसी समन्वय से आयोजित कार्यक्रमों के प्राप्त परिणामों का समय-समय पर प्रकाशन किया जायेगा।

उपरोक्त अनुबंध पत्र हम दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर हमारे हस्ताक्षरों से आज दिनांक..10.1.2019.....को निष्पादित किया गया है ताकि भविष्य में वक्त जरुरत काम आये।

यह अनुबंध 3 साल तक मान्य होगा, उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय (मानित विश्वविद्यालय),

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

प्राचार्य
श्री भं.ला.दू.आ.वि. भारती
मा. वि.मं., सरदारशहर (चूरू)

साक्षीगण

1. अरिता शर्मा

2. प्रवीण शर्मा

[illegible] of Unit (standing)

अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर। –प्रथम पक्ष

एवं

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हैड, कृषि विज्ञान केन्द्र (आईसीएआर), गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर।– द्वितीय पक्ष

इन दोनों पक्षकारान के मध्य निम्नलिखित रूप से अनुबंध किया जाता है–

1. यह कि आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), 25 राजकीय विद्यालयों (22 ग्रामीण एवं 03 शहरी) में गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर द्वारा शैक्षिक सम्बलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है इन विद्यालयों में बच्चों को कृषि व कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे वे कृषि के क्षेत्र में होने वाली प्रगति से अवगत हो सकें तथा आधुनिक कृषि तकनीकी की जानकारी प्राप्त कर सकें।

2. उद्देश्य –

   1. यह कि उक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर कृषि विज्ञान केन्द्र और आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा इन विद्यालयों के बच्चों को जागरूक करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
   2. यह कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समय–समय पर विद्यालय, छात्र, अध्यापक, अभिभावकों को कृषि संबंधी जानकारी दी जायेगी।
   3. कृषकों को नई उन्नत कृषि उत्पादन तकनीकी की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
   4. यह कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित कर कृषि से संबंधित जागरूकता पैदा की जायेगी।
   5. यह कि समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों, अभिभावकों के साथ विचारों व जानकारी का आदान–प्रदान किया जायेगा।
   6. यह कि कृषकों व कृषि विज्ञान के अधिकारियों व शैक्षणिक अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त करने हेतु शोध कार्य संपादित किया जायेगा।

3. सहयोग–

   1. चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ–साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

2. [illegible]
आपसी विचार व जानकारी का आदान प्रदान होगा।

3. समय-समय पर विषय-विशेषज्ञों की विशेष वार्ता व कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

4 आर्थिक व्यवस्था-

1. यह कि कार्यक्रम आयोजन हेतु समस्त व्यय मानित विश्वविद्यालय द्वारा ही वहन किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण सामग्री व साधन कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
3. यह कि उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यदि कोई यात्रा की जाती है या कोई अन्य खर्चा होता है तो उसकी व्यवस्था मानित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

5. नियम और शर्तें-

1. अनुबन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर ही किया जा सकेगा।
2. विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना पूर्व में दी जानी आवश्यक है।
3. कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आर्थिक व्यय दोनों पक्षों के पास उपलब्ध वित्त प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा।

6. समन्वयन- यह कि दोनों पक्षों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आपसी विचार विमर्श के पश्चात कार्यक्रम आयोजन हेतु दिनांक, स्थान व समय का निर्धारण किया जायेगा। दोनों पक्ष आपसी समन्वय बनाये रखेंगे।

7. प्रकाशन-आपसी समन्वय से आयोजित कार्यक्रमों एवं अनुसंधान के परिणामों का समय-समय पर प्रकाशन किया जायेगा।

उपरोक्त अनुबंध पत्र हम दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर हमारे हस्ताक्षरों से आज दिनांक 15.01.2019 को निष्पादित किया गया है ताकि भविष्य में वक्त जरूरत काम आये।

यह अनुबंध 3 साल तक मान्य होगा, उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

अधिष्ठाता
शिक्षा संकाय
आई.ए.एस.ई. (मानित विश्वविद्यालय),
गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर

साक्षीगण
1.
2. प्रवीण शर्मा

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
GVM Sardarshahr, Churu (Raj)